

५३४

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

पत्राक

354

/पटना, दिनांक

13/7/20

संजोप / सहाय / सहायक परिचालक / 41 / 2015 Part-II

प्रेषक,

अभियंता अरुण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

सेवा मे.

महाप्रबंधक (मानव संसाधन / प्रशासन)
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना।

विषय— कर्जी आई०टी०आई० प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित सहायक परिचालक ग्रेड-II का नियोजन समाप्त करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्राक-908 दिनांक-21.05.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि कर्जी आई०टी०आई० प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित सभी 19 सहायक परिचालक ग्रेड-II का नियोजन समाप्ति का आदेश निर्गत किया गया है। नियोजन समाप्ति का निर्गत आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त आदेशों को कंपनी के बेवसाईट पर संबंधितों को सूचनार्थ अपलोड कराने की कृपा की जाय।

साथ ही अनुरोध करना है कि CWJC No-1421/2019 (राजकमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 के आलोक में अनुपालन कार्रवाई/अधिकार स्थिति से कंपनी के अधिवक्ता को अवगत कराने की कृपा की जाए ताकि एदत रूपना माननीय न्यायालय के आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया जा सके।

विश्वासमाजन

अनुलग्नक—रायेव।


(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
मानी

1790/751 (HR) Adt)
25/08/2020

888 (DCM (P))
27/08/2020

U.S.K.
28/8

5.0-F.R.V

1000
आठ 2020

9/1/2020
अप्पा उपस्थिति को।

31/08/2020

23/09/2020



५७८

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—२५ /पटना, दिनांक १६/६/२० /
संगीत/संचरण/सहायक परिचालक/४१/२०१८ कांक-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या—६४ दिनांक—१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री अभय कुमार, पुत्र श्री राधा साह, ग्राम—धरमपुरा, पो०—रसलपुरा, थाना—झोरीगंज, जिला—छपरा, सारण (बिहार) को दिनांक—०५.०५.२०१० के प्रमाण से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्तम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या—३९५ दिनांक—१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री कुमार की सेवा दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रमाण से सहायक परिचालक कोटि—॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री कुमार का सहायक परिचालक ग्रेड—॥ के पद पर दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रमाण से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शीक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा विये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक—१६४ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा श्री कुमार का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिनो—१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१२२४ दिनांक—२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उक्तालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—६९७ दिनो—२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं’ किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है। साथ ही पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री अभय कुमार के संबंध में यह अम्बुजित अकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१०९६ दिनो ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—१३३४ दिनांक—१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या—४१ पर अकित श्री कुमार के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अक पत्र के संबंध में अम्बुजित “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। साथ ही यह भी सूधित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—१६४ दिनांक—१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—६४ दिनांक—१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका—०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

३०८/१८

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री कुमार के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-४२ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री कुमार का सहायक परिचालक के पद पर अनुच्छेद नियोजन को दिनांक-०५.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने सबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री कुमार एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N०-१४२१/२०१९ [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस शीघ्र याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जौन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०५४ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार को दिनांक-२६.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्दिष्ट डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-९१ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जौन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री कुमार ने अपने आवेदन दिनांक-२६.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक नाह का समय माँगा गया। श्री कुमार के आवेदन के आलोक में संचरण जौन, पटना के पत्रांक-११८७ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३०४ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जौन द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री कुमार, निर्धारित तिथि दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई०टी०आई० मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाब समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित जबाब में आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को तहीं होने एवं मा० न्यायालय के आदेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परियोज्य में समिति द्वारा श्री कुमार से प्राप्त जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा समर्पित आई०टी०आई० मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियों वही हैं जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुक्ति उक्त प्रमाण-पत्रों को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा 'निर्गत नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। अतएव श्री कुमार द्वारा फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्ठिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री अभय कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-05.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री अभय कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र- श्री राधा साह, ग्राम-धरमपुरा, पो0-रसलपुरा, थाना-डोरीगंज, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को निर्बंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री अभय कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र श्री राधा साह, ग्राम-धरमपुरा, पो0-रसलपुरा, थाना-डोरीगंज, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र श्री राधा साह, ग्राम-धरमपुरा, पो0-रसलपुरा, थाना-डोरीगंज, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक २९२ पटना, दिनांक ६/६/२० /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।


16/6/2020
(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
मा0सं0/प्रशा0



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सड—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—३४ /पटना, दिनांक १६/५/२० /
 संघीय/सत्राम/सत्राम परिवास/४१/२०१५ पाँडे-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री गोरख राय, पुत्र- श्री घर्मनाथ सिंह, ग्राम-मंदीतर्थ, पो०-मस्तीबक, थाना-दरियापुर, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को दिनांक-०७.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री राय की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री राय का सहायक परिचालक ग्रेड-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१५८ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री राय का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 'पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री गोरख राय के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दि० ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदौषिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीधा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जीव कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-४३ पर अंकित श्री राय के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१५८ दिनांक-१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कठिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

४४४

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री राय के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षापरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-४३ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री राय का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-०७.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री राय एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं को लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री राय सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०५२ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री राय को दिनांक-२६.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पते पर नियंत्रित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री राय ने अपने आवेदन दिनांक-२६.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का रामय भीगा गया। श्री राय के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११८५ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। लदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री राय समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हयाल देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षापरान्त पत्रांक-१३०५ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री राय निर्धारित तिथि दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई०टी०आई० मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाब समर्पित किया गया। श्री राय द्वारा समर्पित जबाब में आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं भा० न्यायालय के आदेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री राय से प्राप्त जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षापरान्त यह पाया गया कि श्री राय द्वारा समर्पित आई०टी०आई० मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियाँ वही हैं जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण-पत्रों को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संराख्यन विभाग, बिहार सरकार, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१८.०९.२०१५ एवं सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

-3-

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा 'निर्गत नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही श्री राय के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एवं अन्य 03 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एक है। अतएव श्री राय द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्ठिका-VIII के आलोक में सेवा से बचारित करने एवं अन्य शार्तानुसार कार्रवाई करने की अनुसंधान की गई।

समिति की प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), विहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने को आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री गोरख राय के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-07.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री गोरख राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरौव, पुत्र- श्री धर्मनाथ सिंह, ग्राम-मंचीतवा, पो०-मस्तीचक, धाना-दरियापुर, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को निर्वाचित डाक से भेज दी जाए।

ह०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- श्री गोरख राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरौव, पुत्र- श्री धर्मनाथ सिंह, ग्राम-मंचीतवा, पो०-मस्तीचक, धाना-दरियापुर, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंधल, डेहरी-ऑन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन /सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), विहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री गोरख राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरौव, पुत्र- श्री धर्मनाथ सिंह, ग्राम-मंचीतवा, पो०-मस्तीचक, धाना-दरियापुर, जिला-छपरा, सारण (बिहार) के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित धाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताकारी को अवगत कराये।

ह०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना/विहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता



**बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—भुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।**

कार्यालय आदेश संख्या—

५३

/पटना,

दिनांक

१६/६/२०

संजोग/सांख्य/सहायक परिचालक/४१/२०१८ वार्ष-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री विकाश कुमार, पुत्र-श्री विजय कुमार सिंह, श्रम-भलुआ शंकरदीप, पो०-भलुआ निखारी, धाना-शंकरदीप, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्तम में, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री कुमार की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री कुमार का सहायक परिचालक घोड़-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शीक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध को आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१५७ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री कुमार का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिनों-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिनों-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।’ साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री विकाश कुमार के संबंध में यह अनुपूर्ण अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के कलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिनों-०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीधा, पटना/सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से नामले की पुनर्जागृत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-३१ पर अंकित श्री कुमार के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अनुकृति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि नियोजन नियंत्रक प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१५७ दिनांक-१५.०२.२०१६ कर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

इस प्रकार श्री कुमार के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षापरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-३५ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री कुमार का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण वो रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री कुमार एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समिति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार सहित सभी १९ सेवामुक्त ताकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०६४ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार को दिनांक-२८.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्बंधित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पैंच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री कुमार ने अपने आवेदन दिनांक-२८.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय नहीं दिया गया। श्री कुमार के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११७४ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित यिनामीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना दैघ पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षापरान्त पत्रांक-१३१४ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निरिश्वत रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा—दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री कुमार द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न ही लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षापरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली-भाति अद्यगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कण्ठिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खारत करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों को आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०) बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-९०८ दिनांक-२१.०५.२०२० द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६४ दिनांक-१०.०५.२०१० एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ में निहित नियोजन यी शर्तों के अधीन श्री विकाश कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री विकाश कुमार, तदेन सहायक परिचाल चैड-II, संचरण अवर प्रमंडल, सिपारा, गौरीघाट, पुत्र-श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम-भलुआ शंकरडीह, पो०-भलुआ भिखारी, थाना-शंकरडीह, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को नियमित डाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि— श्री विकाश कुमार, तदेन सहायक परिचालक, संचरण अवर प्रमंडल, सिपारा, गौरीघाट, पुत्र- श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम-भलुआ शंकरडीह, पो०-भलुआ भिखारी, थाना-शंकरडीह, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि— विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पूर्वी)/संचरण अंचल, बिहारशरीफ/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, २०१८-भुजो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-९०८ दिनांक-२१.०५.२०२० की प्रति संलग्न करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी) से अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री विकाश कुमार, तदेन सहायक परिचाल चैड-II, संचरण अवर प्रमंडल, सिपारा, गौरीघाट, पुत्र-श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम-भलुआ शंकरडीह, पो०-भलुआ भिखारी, थाना-शंकरडीह, जिला-छपरा, सारण (बिहार) के विरुद्ध यथांचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।


₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक ३०५ पटना, दिनांक १६/६/२० /

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।



१६/६/२०२०
 (अरुण कुमार चौधरी)
 महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
 ₹०/-



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—भुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

५७

/पटना,

दिनांक

१६/६/२०

संघीय/प्राप्ति/सहायक चरिकालक/४१/२०१५ भाँड-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री सुशील कुमार यादव, पुत्र- श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम—जुमरी, घो०—जुमरी अहूड़ा, थाना—झोरीगंज, जिला—साराण, छपरा (बिहार) को दिनांक-०७.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में बिहार स्टेट पावर (होलिंडिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री यादव की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री यादव का सहायक परिचालक ग्रेड-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१५९ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री यादव का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं-०५९ दिन-१८.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्थीरता प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को ढंगन करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिन-०२.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 'पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री सुशील कुमार यादव के संबंध में यह अभ्युक्त अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिन-०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीधा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-४० पर अंकित श्री यादव के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्त "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१५९ दिनांक-१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कठिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कपिडका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री यादव के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अद्वीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-२७ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री यादव का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-०७.०५.२०१० के प्रमाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रमाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री यादव एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनान विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस यीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री यादव सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०५९ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री यादव को दिनांक-३०.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्बंधित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-९१ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री यादव ने अपने आवेदन दिनांक-३०.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मौगा गया। श्री यादव के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११८८ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा जांति अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्त्वापित प्रति तथा अपना ऐध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री यादव समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३१९ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री यादव निर्धारित तिथि दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई०टी०आई० मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाब समर्पित किया गया। श्री यादव द्वारा समर्पित जबाब में आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं ना० न्यायालय के आदेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा बर्खारतगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष में समिति द्वारा श्री यादव से प्राप्त जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री यादव द्वारा समर्पित आई०टी०आई० मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियों यही है जिसे वे पूर्व में अनुशंघ नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण-पत्रों को परीक्षा नियन्त्रक, अम संसाधन विभाग, विहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियन्त्रक

-3-

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334^व दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही श्री यादव के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एवं अन्य 03 सेवामुक्त तकनीकी कमियों के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एक है। अतएव श्री यादव द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्ठका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तनुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों को आधार पर महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विविसामात कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री सुशील कुमार यादव के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-07.05.2010 के प्रमाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण दिनांक-01.04.2015 के प्रमाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री सुशील कुमार यादव, तदेन सहायक परिचालक घोड़-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरोंव, पुत्र- श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम-दुमरी, पो०-दुमरी अद्भा, थाना-डोरीगंज, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को नियमित ढाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री सुशील कुमार यादव, तदेन सहायक परिचालक घोड़-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरोंव, पुत्र- श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम-दुमरी, पो०-दुमरी अद्भा, थाना-डोरीगंज, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी-ओ०न-सो०न/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-ओ०न-सो०न /सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरोंव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री सुशील कुमार यादव, तदेन सहायक परिचालक घोड़-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरोंव, पुत्र- श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम-दुमरी, पो०-दुमरी अद्भा, थाना-डोरीगंज, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को विरुद्ध योग्यित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्रावधानिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना रो अद्योहस्ताकारी को अवगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक ३०६ पटना, दिनांक १६/६/२० /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

(M/N/16/20)

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

१६/६/२०



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अधिकारी
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

४५

/पटना,

दिनांक—

१६/६/२०

संघीय/सांख्यक/मायपक वरिष्ठताक/४१/२०१५ पार्ट-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना राखी—०१/०९ के अन्तर्गत कार्यालय संख्या—६८ दिनांक—१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री सौनु कुमार सिंह, पुत्र श्री भगीरथ सिंह, ग्राम—बदुराही, पो०—सोनपुर, थाना—सोनपुर, जिला—सारण, छपरा (बिडार) को दिनांक—१०.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के कार्यालय संख्या—३९५ दिनांक—१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री सिंह की सेवा दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि—॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री सिंह का सहायक परिचालक घोड़—॥ के पद पर दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शीक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार सरकार, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक—१८३ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा श्री सिंह का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके अधार पर कार्यालय आदेश संखी—५९ दिनों—१६.०५.२०१६ द्वारा पैतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र की संख्या—समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१२२४ दिनांक—२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—६०७ दिनों—२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।’ साथ ही पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री सौनु कुमार सिंह के संबंध में यह अन्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में पत्रपत्र स्पष्ट प्रतिवेदनों से उत्पन्न परीक्षामार्ग के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१०९६ दिनों—०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदीगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जागृह कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—१३३४ दिनांक—१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या—३९ पर अंकित श्री सिंह के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अन्युक्ति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि नियंत्रक कार्यालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—१८३ दिनांक—१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—६८ दिनांक—१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका—०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.५.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री सिंह के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-४४ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री सिंह का सहायक परिचालक के पद पर अनुकूल नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री सिंह एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा परित न्यायादेश दिनांक-१६.०६.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस दीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०६३ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह को दिनांक-२६.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता^{पर} निर्धारित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा गहारबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री सिंह ने अपने आवेदन दिनांक-२६.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का लागत मौंगा गया। श्री सिंह के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११८६ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित यिभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३०६ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निर्दिष्ट रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा—दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री सिंह द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली-भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कण्ठिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-९०८ दिनांक-२१.०५.२०२० द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण—पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री सोनु कुमार सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री सोनु कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, झंझारपुर पुत्र श्री भागीरथ सिंह, ग्राम-बदुराही, पो०-सोनपुर, थाना-सोनपुर, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को निर्धारित ढाक से भेज दी जाए।

४०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक.....पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि— श्री सोनु कुमार सिंह, पुत्र श्री भागीरथ सिंह, ग्राम-बदुराही, पो०-सोनपुर, थाना-सोनपुर, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

४०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक.....पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि—महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर/विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, दरभंगा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, दरभंगा/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-९०८ दिनांक-२१.०५.२०२० की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण—पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री सोनु कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, झंझारपुर पुत्र श्री भागीरथ सिंह, ग्राम-बदुराही, पो०-सोनपुर, थाना-सोनपुर, जिला-सारण, छपरा (बिहार) के विलद कानूनी कार्रवाई ग्राम-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताकरी को अवगत करायें।


४०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक.....३०२.....पटना, दिनांक.....१६/६/२०...../

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
४०/-



५६२

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक-साह-मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

३७

/पटना,

दिनांक

१६६१२०

संलग्न/सांख्य/सहायक परिचालक/४१/२०१५ भाँड-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री शशिभूषण कुमार, पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो०-ककरहट, जिला-सारण, छपसा (बिहार) को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्राम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री कुमार की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री कुमार का सहायक परिचालक गोड-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्मुच्चित हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुसंधान के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१५६ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री कुमार का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिन-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की रवीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्थग्न करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुसंधान किया गया।

उदालोक में सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिन-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।" रायथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्मुच्चित की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री शशिभूषण कुमार के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्मुच्चित प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न पिरोधभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिन-०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदीगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अग्रिमेक का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-३८ पर अंकित श्री कुमार के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सुधित किया गया कि नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१५६ दिनांक-१५.०२.२०१६ कर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका-०८ में विनिर्दिष्ट है कि- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

-2-

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

इस प्रकार श्री कुमार के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-26 दिनांक-21.02.2019 द्वारा श्री कुमार का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रमाण से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-01.04.2015 के प्रमाण से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री कुमार एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिं०, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मान आदेश परित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस वीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-87 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री कुमार सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के बाद उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका 30.08.2019 को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आधासीय पता पर निर्दिष्ट ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतियेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री कुमार ने अपने आवेदन दिनांक-30.08.2019 द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मौंगा गया। श्री कुमार के आवेदन को आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-1184 दिनांक-11.09.2019 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-14.10.2019 को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित पिभागीय आदेश की मूल/सत्यापित होकर अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति को समझ समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समझ उपरिधित हुए एवं पूर्व में उत्तेजित समान कारण तदालोक में दिनांक-14.10.2019 को श्री कुमार समिति के समझ उपरिधित हुए एवं पूर्व में उत्तेजित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षा पत्रांक-1318 दिनांक-14.10.2019 द्वारा दिनांक-07.11.2019 को समिति के समझ निर्दिष्ट रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित लिखित यथा—दिनांक-07.11.2019 को श्री कुमार समिति के समझ उपरिधित हुए परन्तु श्री कुमार द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षा परान्ता यह पाया गया कि श्री कुमार अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली—भाली अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्ठिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विभिन्नमत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री शशिभूषण कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री शशिभूषण कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०ड-II, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो०-ककरहट, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को नियमित ढाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री शशिभूषण कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०ड-II, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो०-ककरहट, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो०-ककरहट, जिला-सारण, छपरा (बिहार) के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संघर्षित थाना में ग्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

2. महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री शशिभूषण कुमार, तदेन सहायक परिचालक, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो०-ककरहट, जिला-सारण, छपरा (बिहार) के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संघर्षित थाना में ग्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक २१५ पटना, दिनांक १६/६/२० /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
१६/६/२०



५९

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

३९

/पटना,

दिनांक—

१६/६/२०

संजीप/साकाश/सहायक अभियंता/४१/२०१५ पाई-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक—१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री विरबहादुर सिंह, ग्राम—अलेखटोला, पो०—गरीबटोला, थाना—रिविलगंज, जिला—सारण, (बिहार) को दिनांक—१०.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक—१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री सिंह की सेवा दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोठि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री सिंह का सहायक परिचालक ग्रेड-॥ के पद पर दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शीक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र यी प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन यी सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक—१६१ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा श्री सिंह का प्रमाण पत्र यही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१२२४ दिनांक—२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि “पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।” साथ ही पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न दिरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१०९६ दि० ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—१३३४ दिनांक—१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या—३७ पर अंकित श्री सिंह के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि नियंत्रक कार्यालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—१६१ दिनांक—१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—६८ दिनांक—१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका—०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

५८८-

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री सिंह के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षापरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जॉन, पटना के का०आ०सं०-२८ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री सिंह का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री सिंह एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिं०, पटना एवं अन्य] दाखर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन जॉन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जॉन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०६० दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह को दिनांक-३०.०८.२०१९ द्वारा उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्बंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्याल्पक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जॉन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जॉन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जॉन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री सिंह ने अपने आवेदन दिनांक-३०.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय भींगा गया। श्री सिंह के आवेदन के आलोक में संचरण जॉन, पटना के पत्रांक-११७३ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने गूल आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित पिभारीय आदेश की गूल/सत्यापित प्रति तथा अपना दैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हयाल देते हुए अग्रतार १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षापरान्त पत्रांक-१३२० दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जॉन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित लिखि यथा-दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री सिंह द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण-पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षापरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र से भली-भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कण्ठका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शारानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं सामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-८८ दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिडग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन वी शर्तों के अधीन श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, भगुआ पुत्र श्री विरबहादुर सिंह, ग्राम-अलेखटोला, पो०-गरीबटोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण, (बिहार) को नियमित डाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, भगुआ पुत्र श्री विरबहादुर सिंह, ग्राम-अलेखटोला, पो०-गरीबटोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण, (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, ढेहरी-आन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, ढेहरी-आन-सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, भगुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, भगुआ पुत्र श्री विरबहादुर सिंह, ग्राम-अलेखटोला, पो०-गरीबटोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण, (बिहार) के विलद कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित थाना में प्राधिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक २७६ पटना, दिनांक १६/६/२० /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिडग) कम्पनी लिं०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं० को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

५५५



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—५८ / पटना, दिनांक १६/५/२० /

संलग्न/संस्थान/सामाजिक परिवास/४१/२०१५ चार्ट-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री संतोष कुमार सिंह, पुत्र—श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम—जिगना, पौ०+धाना—गढ़खा, जिला—छपरा, सारण (बिहार) को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंडर) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री सिंह की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री सिंह का सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अन संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अन संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१६९ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री सिंह का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिन-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिन-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि “पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।” साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री संतोष कुमार सिंह के संबंध में यह अन्युपित अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिन ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजीच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-३६ पर अंकित श्री सिंह के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अन्युक्ति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१६९ दिनांक-१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken.”

४८४

P.T.O

इसके अंतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०स०ख्या-३९५ दिन २०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कपिलका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि- “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

इन प्रकार श्री सिंह के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में सभीकोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०स०-४१ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री सिंह का सहायक परिवालक था पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिवालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विलम्ब श्री सिंह एवं समाज मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [शज़ कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस वीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०स०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०५३ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह को दिनांक-२६.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निश्चित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के देवसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-९१ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सठ-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री सिंह ने अपने आवेदन दिनांक-२६.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाड़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय भींगा गया। श्री सिंह को आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११८१ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११.०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित सामान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर सभीकोपरान्त पत्रांक-१३०३ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री सिंह निर्धारित तिथि दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई०टी०आई० मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाब समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित जबाब में आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं माठ न्यायालय के आदेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिषेष्य में समिति द्वारा श्री सिंह से प्राप्त जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा समर्पित आई०टी०आई० मूल प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियों वही हैं जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण—पत्रों को परीक्षा नियंत्रक, अम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

-3-

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 133^ए दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही श्री सिंह के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एवं अन्य ०३ सेवामुक्त ताकनीकी कर्मियों के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एक है। अतएव श्री सिंह द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः समर्पित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पायर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कण्ठका-VIII के आलोक में सेवा से बचास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशास्ता की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पायर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-९०८ दिनांक-२१.०५.२०२० द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-०८ दिनांक-१०.०५.२०१० एवं बिहार स्टेट पायर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री संतोष कुमार सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री संतोष कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक घे०-॥, संचरण अवर प्रमंडल, बिहार, पुत्र-श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो०+थाना-गढ़खा, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को नियमित डाक से भेज दी जाए।

८०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक.....पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि- श्री संतोष कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक घे०-॥, संचरण अवर प्रमंडल, बिहार, पुत्र-श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो०+थाना-गढ़खा, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

८०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक.....पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पश्चिमी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पश्चिमी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बिहार, पुत्र-श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो०+थाना-गढ़खा, जिला-छपरा, सारण (बिहार) के विलद्ध यथोधित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अयगत करायें।

2. महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पायर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-९०८ दिनांक-२१.०५.२०२० की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री संतोष कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक घे०-॥, संचरण अवर प्रमंडल, बिहार, पुत्र-श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो०+थाना-गढ़खा, जिला-छपरा, सारण (बिहार) के विलद्ध यथोधित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अयगत करायें।


८०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक.....३०८.....पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पायर (होलिंग) कंपनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पायर ट्रांसमिशन कंपनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।



 (अरुण कुमार चौधरी)
 महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

३६

/पटना,

दिनांक—

१६/६/२०

संघीय/सहाय्य/सहाय्य परिवालक/४१/२०१५ तिथि—२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०—०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या—७८ दिनांक—१८.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री राजकमल, पुत्र श्री जगदेव हजरा, ग्राम—बन्देय, पो०—धरमपुर बन्देय, भाया—पटोरी जिला—समस्तीपुर, बिहार को दिनांक—१७.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अवार पर सहायक परिवालक के पद पर नियोजन किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या—३९५ दिनांक—१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री राजकमल वी रोवा दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिवालक कोटि—॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री राजकमल का सहायक परिवालक घेठ—॥ के पद पर दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र की प्रति का सत्यापन करने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आई०टी०आई० अंक पत्र में “मार्क्स बढ़ाकर दिया गया है अर्थात् मार्क्स में भिन्नता” है। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक—२०५ दिनांक—२७.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा श्री राजकमल का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०—५९ दिन—१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की रवीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र की संख्या समान है। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१२२४ दिनांक—२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—६९७ दिन—२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि “पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।” साथ ही पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त श्री राजकमल के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० अंक पत्र में “मार्क्स में भिन्नता है अर्थात् मार्क्स बढ़ाकर लिखा गया है। इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में पररपर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१०९६ दिन—०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीधा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—१३३४ दिनांक—१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या—१७ पर अंकित श्री राजकमल के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति “मार्क्स बढ़ाकर दिया गया है, मार्क्स में भिन्नता” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—२०५ दिनांक—२७.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—७८ दिनांक—१८.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिवालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन में कठिका—०६ में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट था— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

एवं, बिहार स्टेट पावर (हॉलिंग) कम्पनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 हेतु निर्गत नियमितिकरण का आदेश की कण्ठका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है- “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

इस प्रकार श्री राजकमल के ईक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० अंक-पत्र में हेतु-फेर (manipulation) पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन की शर्तों के अधीन संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-३६ दिनांक-21.02.2019 द्वारा श्री राजकमल का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-17.05.2010 के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री राजकमल एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (हॉलिंग) कम्पनी लि०, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमराम्भत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री राजकमल सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जौन, पटना के नोटिस पत्रांक-1050 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री राजकमल को दिनांक-26.08.2019 को उनके ईक्षणिक योग्यता यथा-आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्दिष्ट डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जौन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री राजकमल, निर्धारित तिथि दिनांक-26.08.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर लिखित पक्ष समर्पित किया गया। श्री राजकमल द्वारा अपने जबाब में उल्लेख किया गया कि परीक्षा नियंत्रक के पत्रांक-2069 दिनांक-16.09.2015 द्वारा उनको आई०टी०आई० अंक-पत्र में मार्क्स में भिन्नता का सत्यापन गलत है। साथ ही उल्लेख किया गया कि आई०टी०आई० संस्थान द्वारा उन्हें पूर्व में जो अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी लेकिन सत्यापन के उपरान्त संस्थान द्वारा उन्हें जो आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र दिया गया है, वह सही है। श्री राजकमल द्वारा अपने लिखित पक्ष के साथ आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र की प्रतियों भी समर्पित की गई। श्री राजकमल के उक्त जबाब के आलोक में समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राजकमल द्वारा अनुबंध नियोजन एवं क्रम में सेवा का नियमितिकरण के समय समर्पित किये गये आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र की प्रतियों तथा वर्तमान में लिखित पक्ष के साथ समर्पित किये गये आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र की प्रतियों का मिलान करने पर पाया गया कि प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र का क्रम संख्या एक है परन्तु अंक-पत्र में विभिन्न विषयों में प्राप्तांक एवं कुल प्राप्तांक में भिन्नता है। अनुबंध नियोजन एवं सेवा नियमितिकरण हेतु समर्पित आई०टी०आई० अंक पत्र में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक-630 अंकित है, जबकि लिखित जबाब के साथ समर्पित अंक पत्र में विभिन्न विषयों में मिले अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक-559 अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि नियोजन हेतु श्री राजकमल द्वारा समर्पित अंक-पत्र में कुल मार्क्स में 71 (एकहतर) मार्क्स बढ़ाकर अंकित है अर्थात मार्क्स की भिन्नता है। उक्त आधार पर समिति द्वारा प्रतिवेदित है कि श्री राजकमल के द्वारा आई०टी०आई० अंक-पत्र में फर्जीयादा/हेतुफेर (manipulate) कर विषयावार एवं कुल प्राप्तांक को बढ़ाया गया ताकि प्राप्तांक के आधार पर उनका नाम मेघा-सूची में आ सके एवं नियोजन सुनिश्चित हो सके। चुकि परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन

-3-

विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-2069 दिनांक-16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा श्री राजकमल के आई०टी०आई० अंक-पत्र के संबंध में "मार्क्स बढ़ाकर दिया गया है, मार्क्स में मिन्ता" प्रतिवेदित है, तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्ठिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन से अवगत होकर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा आरोपी के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों/तथ्यों की सम्यक विचारोपरान्त कर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) का प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री राजकमल के सहायक परिचालक के पद पर अनुकंप्य नियोजन को दिनांक-17.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमित नियोजन को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री राजकमल, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, गायघाट, पुत्र श्री जगदेव हजरा, ग्राम-बान्देय, पो०-धरमपुर बान्देय, भाया-पटोरी, जिला-समर्तीपुर, बिहार को निर्दिष्ट ढाक से भेज दी जाए।

५०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि— श्री राजकमल, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, गायघाट, पुत्र श्री जगदेव हजरा, ग्राम-बान्देय, पो०-धरमपुर बान्देय, भाया-पटोरी, जिला-समर्तीपुर, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

५०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि— विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पूर्वी)/संचरण अंचल, बिहारशरीफ/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, गायघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति तालम्बन करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी) से अनुरोध है कि कर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री राजकमल, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, गायघाट, पुत्र श्री जगदेव हजरा, ग्राम-बान्देय, पो०-धरमपुर बान्देय, भाया-पटोरी, जिला-समर्तीपुर, बिहार के विलद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संविधित धाना में प्राधिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताकारी को अवगत करायें।

५०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
१६१६१२५ /

झापांक २९३ पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०) /उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिं.०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं० को सूचनार्थ प्रेषित।


(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
१६१६१२५



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

५६

/पटना,

दिनांक

१६/६/२०

संजीव/संसाधन/सहायक परियोजना/४१/२०१५ पट-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-८८ दिनांक—१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री प्रशान्त कुमार, पुत्र—श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम—महेन्द्रपुर, पौ०+थाना—हाथीदह, जिला—पटना को दिनांक—०६.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक—१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री कुमार की सेवा दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि—॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री कुमार का सहायक परिचालक ग्रेड—॥ के पद पर दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक—२१५ दिनांक ०२.०३.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा श्री कुमार का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिनो—१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१२२४ दिनांक—२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—६९७ दिनो—२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।’ साथ ही पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री प्रशान्त कुमार के संबंध में यह अन्युक्ति अंकित की गई थि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१०९६ दिनो ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जागृत कर अनिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—१३३४ दिनांक—१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या—२२ पर अंकित श्री कुमार के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अन्युक्ति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—२१५ दिनांक—०२.०३.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—८८ दिनांक—१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कठिका—०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

६४८

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९६ दिनांक-१५.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc, is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री कुमार को शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा वीर्य गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-२९ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री कुमार का सहायक परिधालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-०६.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिधालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री कुमार एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N०-१४२१/२०१९ [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस धीर्घ याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार सहित उभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जौन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०६१ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार को दिनांक-२९.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्बंधित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-९१ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अनियंता, संचरण जौन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जौन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री कुमार ने अपने आवेदन दिनांक-२९.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मोगा गया। श्री कुमार के आवेदन के आलोक में संचरण जौन, पटना के पत्रांक-११७५ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यवितरण रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना दैघ पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३१५ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जौन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित लियि यथा—दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री कुमार द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली—भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९६ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कण्ठका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं मानले में उम्मलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जॉन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री प्रशान्त कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुरोध नियोजन को दिनांक-06.05.2010 के प्रमाण से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रमाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री प्रशान्त कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, हाथीदह, पुत्र-श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम-महेन्द्रपुर, पौ०+थाना-हाथीदह, जिला-पटना को निर्वाचित डाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि— श्री प्रशान्त कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, हाथीदह, पुत्र-श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम-महेन्द्रपुर, पौ०+थाना-हाथीदह, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि— विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पूर्वी)/संचरण अंचल, बिहारशारीक/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, घे०-II/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, हाथीदह, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी) से अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री प्रशान्त कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, हाथीदह, पुत्र-श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम-महेन्द्रपुर, पौ०+थाना-हाथीदह, जिला-पटना के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्राप्तमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।


₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक ३०३ पटना, दिनांक १६.६.२० /

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।



 (अरुण कुमार चौधरी)
 महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
 ₹०/-



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

५०

/पटना,

दिनांक—

१६/६/२०

संघीय/सामग्री/सहायक परिचालक/४१/२०१५ नं०-३

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री मृत्युजय कुमार मिश्रा, पुत्र श्री सुनील मिश्रा, आम-माला, पौ०-, गुरुकुल मेहियाँ, धाना-मुफ्फसिल, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को दिनांक-१७.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (हेलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री मिश्रा की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री मिश्रा का सहायक परिचालक योड़-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१७२ दिनांक १६.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री मिश्रा का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्थीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 'पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री मृत्युजय कुमार मिश्रा के संबंध में यह अन्युवित अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दि० ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीधा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जाग्र उपलब्ध का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-३५ पर अंकित श्री मिश्रा के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अन्युवित "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१७२ दिनांक-१६.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी त्वार पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कठिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

रामेश

P.T.O

-2-

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री मिश्रा के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-३० दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री मिश्रा का सहायक परिवालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१७.०५.२०१० के प्रमाण से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिवालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रमाण से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री मिश्रा एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N०-१४२१/२०१९ [राज बानल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिंग, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समर्पित का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री मिश्रा सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०५६ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री मिश्रा को दिनांक-२९.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर नियंत्रित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिपेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-९१ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री मिश्रा ने अपने आवेदन दिनांक-२९.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय भी गया। श्री शिंह के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११७९ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपरिष्ठ छोकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री मिश्रा समिति के समक्ष उपरिष्ठ हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३१६ दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निरिष्ट रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा—दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री मिश्रा समिति के समक्ष उपरिष्ठ हुए परन्तु श्री मिश्रा द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री मिश्रा अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली—भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कण्ठका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खारत करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में अपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फजी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-17.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा, तदेन सहायक परिचालक घेड-॥, संचरण अवर प्रमंडल, सोननगर (न्यू) पुत्र श्री सुनील मिश्रा, ग्राम-माला, पो०-गुरुकुल मेहियाँ, थाना-मुफकसिल, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को नियमित डाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

शापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा, तदेन सहायक परिचालक घेड-॥, संचरण अवर प्रमंडल, सोननगर (न्यू) पुत्र श्री सुनील मिश्रा, ग्राम-माला, पो०-गुरुकुल मेहियाँ, थाना-मुफकसिल, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

शापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी-आन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-आन-सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, सोननगर (न्यू) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फजी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा, तदेन सहायक परिचालक घेड-॥, संचरण अवर प्रमंडल, सोननगर (न्यू) पुत्र श्री सुनील मिश्रा, ग्राम-माला, पो०-गुरुकुल मेहियाँ, थाना-मुफकसिल, जिला-सारण, छपरा (बिहार) के विलद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संविधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहरताबारी को अवगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

शापांक २९३ पटना, दिनांक १६/६/२० /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

*(M.L.K.)
11/06/20*
(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

२४

/पटना,

दिनांक

१६/६/२०

संजोन/सात्राम/सहायक परिचालक/४१/२०१८ पट-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६४ दिनांक—१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, ग्राम—पिरगंज, पौ०-सितलपुर, थाना—दिघवारा, जिला—सारण, छपरा (बिहार) को दिनांक—१०.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९६ दिनांक—१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री कुमार की सेवा दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि—॥ के पद पर (नियमित येतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री कुमार का सहायक परिचालक ग्रेड—॥ के पद पर दिनांक—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक—१७२ दिनांक १६.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा श्री कुमार का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिनों—१६.०५.२०१६ द्वारा येतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१२२४ दिनांक—२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उदालोक में सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—६९७ दिनों—२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।’ साथ ही पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री मनोज कुमार के संबंध में यह अन्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधभास के फलस्त्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१०९६ दिनों—०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदीगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अग्रिमेक का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक—१३३४ दिनांक—१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या—३४ पर अंकित श्री कुमार के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अन्युक्ति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—१७२ दिनांक—१६.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—६४ दिनांक—१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका—०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

मेरि

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठका-(VIII) में दिनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

इस प्रकार श्री कुमार के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षापरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-३१ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री कुमार का साहायक परिधालक को पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही साहायक परिधालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री कुमार एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस योग्य याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०५७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार को दिनांक-२९.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्बंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए लघ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री कुमार ने अपने आवेदन दिनांक-२९.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मौंगा गया। श्री कुमार के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११७७ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११.०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षापरान्त पत्रांक-१३१७ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा—दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री कुमार द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षापरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली—भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कण्ठका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी रीकार्डिंग योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री मनोज कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री मनोज कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, ग्राम-पिरगंज, पो०-सितलपुर, थाना-दिघवारा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को निर्विधित ढाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि— श्री मनोज कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, ग्राम-पिरगंज, पो०-सितलपुर, थाना-दिघवारा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि—विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंधल, ढेहरी-आन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, ढेहरी-आन-सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री मनोज कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, ग्राम-पिरगंज, पो०-सितलपुर, थाना-दिघवारा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) के विलङ्घ कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताकारी को अवगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक २१५ पटना, दिनांक १६.५.२०२० /

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।


 (अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—५३ / पटना, दिनांक १६/६/२० /
 भवन/सामग्री/सामाजिक परिवहन/४१/२०१५ नं.-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री मनमोहन सिंह यादव, पुत्र श्री रामायण सिंह, ग्राम—दुलहपुर, पो०- दुलहपुर, थाना—सिमरी, जिला—बक्सर (बिहार) को दिनांक-१८.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्तम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री यादव की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री यादव का सहायक परिचालक घोड़-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री यादव का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की रवीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।’ साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री मनमोहन सिंह यादव के संबंध में यह अन्युक्ति अंकित गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दि० ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से भानले की पुनर्जाग्र कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-५१ पर अंकित श्री यादव के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अन्युक्ति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसज्जी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कठिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken.”

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

इस प्रकार श्री यादव के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षापरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-३८ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री यादव का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१८.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-१ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री यादव एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१८.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस दीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री यादव सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०५८ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री यादव को दिनांक-२७.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्दिष्ट ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री यादव ने अपने आवेदन दिनांक-२७.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय भींगा गया। श्री यादव के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११८२ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री यादव समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षापरान्त पत्रांक-१३०८ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा—दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री यादव समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री यादव द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के सबध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा समान की सम्यक समीक्षापरान्त यह पाया गया कि श्री यादव अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली—भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कण्ठिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तांगुसार कार्रवाई करने की अनुशासा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-९०९ दिनांक-२१.०५.२०२० द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आशेष में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री मनमोहन सिंह यादव के सहायक परिचालक को पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१८.०५.२०१० के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री मनमोहन सिंह यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद पुत्र श्री रामायण सिंह, ग्राम-दुलहपुर, पो०-दुलहपुर, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर (बिहार) को निर्दिष्ट डाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार धौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री मनमोहन सिंह यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद पुत्र श्री रामायण सिंह, ग्राम-दुलहपुर, पो०-दुलहपुर, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार धौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंगठल, डेहरी-आन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, औरंगाबाद / सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-९०९ दिनांक-२१.०५.२०२० की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने की दोषी श्री मनमोहन सिंह यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद पुत्र श्री रामायण सिंह, ग्राम-दुलहपुर, पो०-दुलहपुर, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर (बिहार) के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संदर्भित थाना में प्रायमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराये।


₹०/-

(अरुण कुमार धौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक ३०० पटना, दिनांक १६/६/२० /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरुण कुमार धौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
६०८-



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

३०

/पटना,

दिनांक

१६/६/२०

संलग्न/सांख्य/सहायक परिचालक/४१/२०१५ चृष्ट-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री गणेश प्रसाद, पुत्र श्री रविन्द्र राय, ग्राम-दिरस, पौ०-सराय, थाना-सराय हाजिरपुर, जिला-दैशाली (बिहार) को दिनांक-१८.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंडग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री प्रसाद की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री प्रसाद का सहायक परिचालक ग्रेड-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित ऐक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१७१ दिनांक १६.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री प्रसाद का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके अधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिं०-१८.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उदालोक में सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिं०-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 'पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री गणेश प्रसाद के संबंध में यह अभ्युक्त अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिं० ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-५६ पर अंकित श्री प्रसाद के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्त "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१७१ दिनांक-१६.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

४८८

P.T.O

इसके अतिरिक्त, विहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कपिल्का-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री प्रसाद के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के कार्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा वी गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-४० दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री प्रसाद का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१८.०५.२०१० के प्रमाण से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रमाण से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री प्रसाद एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राजा कमल एवं अन्य बनाम विहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिंग, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस दीप्त याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री प्रसाद सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जौन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०४८ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री प्रसाद को दिनांक-२७.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र कार्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवौसीय पता पर निर्दिष्ट ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना की अध्यक्षता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जौन द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री प्रसाद ने अपने आवेदन दिनांक-२७.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मौगा गया। श्री प्रसाद के आवेदन के आलोक में संचरण जौन, पटना के पत्रांक-११७६ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना ऐध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री प्रसाद समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३१० दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निरिधत रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जौन द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री प्रसाद, निर्धारित तिथि दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई०टी०आई० मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाब समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित जबाब में आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मा० न्यायालय के आदेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा बर्खास्तागी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्षा में समिति द्वारा श्री प्रसाद से प्राप्त जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा समर्पित आई०टी०आई० मूल प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियों वही हैं जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकिं उक्त प्रमाण—पत्रों को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, विहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं प्रतिवेदित किया गया है। अतएव श्री प्रसाद द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्ठका-VIII के आलोक में सेवा से वर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री गणेश प्रसाद के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-18.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री गणेश प्रसाद, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, झुमरौंव, पुत्र- श्री रविन्द्र राय, ग्राम-विरस, पो०-सराय, थाना-सराय हाजिपुर, जिला-वैशाली (बिहार) को नियमित ढाक से भेज दी जाए।

80/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

/

प्रतिलिपि- श्री गणेश प्रसाद, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, झुमरौंव, पुत्र- श्री रविन्द्र राय, ग्राम-विरस, पो०-सराय, थाना-सराय हाजिपुर, जिला-वैशाली (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

80/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

/

प्रतिलिपि- विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंधल, डेहरी-ओ०-सो०/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-ओ०-सो०/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, झुमरौंव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में श्री गणेश प्रसाद, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, झुमरौंव, पुत्र- श्री रविन्द्र राय, ग्राम-विरस, पो०-सराय, थाना-सराय हाजिपुर, जिला-वैशाली (बिहार) के विलद्व विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना अध्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

80/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

1616125


/

ज्ञापांक

२४९

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
८५४८



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

५५

/पटना,

दिनांक

१६/६/२०

संजोन/संवाद/महावक चरित्रालक/४१/२०१५ पार्ट-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन रूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री धीरज कुमार सिंह, पुत्र श्री नामेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो०-गोपुर, थाना-गढखा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तादुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९६ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री सिंह की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री सिंह का सहायक परिचालक श्रेणी-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्मुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१६७ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री सिंह का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिं०-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्याँ रामान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिं०-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१८ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।" साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्मुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री धीरज कुमार सिंह के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्मुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिं० ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीधा, पटना/सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से गामले की पुनर्जागृत का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-३३ पर अंकित श्री सिंह के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि नियंत्रक कार्यालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१६७ दिनांक-१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

३५८

P.T.O

-2-

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कपिडका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

इस प्रकार श्री सिंह के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-३७ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री सिंह का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री सिंह एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N०-१४२१/२०१९ [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कर्म्पनी लिंग, पटना एवं अन्य] दावर किया गया। उवत्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन जौन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जौन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०६६ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह को दिनांक-२७.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जवाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्दिष्ट ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैंकसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जवाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना की अध्यक्षता में पीच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जौन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री सिंह ने अपने आवेदन दिनांक-२७.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाड़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मौगा गया। श्री सिंह के आवेदन के आलोक में संचरण जौन, पटना के पत्रांक-११८३ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना दैद पहचान पत्र के साथ लिखित जवाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लिखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३०७ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जौन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा—दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री सिंह द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोग में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली-भांति अवगत रहते हुए लिखित जवाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कपिडका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खारत करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी ईकाइया योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन वी शर्तों के अधीन श्री धीरज कुमार सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रमाण से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रमाव से रद्द करते हुए इनकी तोता समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री धीरज कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, जगदीशपुर पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो०-गोपुर, थाना-गढ़खा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को नियमित ढाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री धीरज कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, जगदीशपुर पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो०-गोपुर, थाना-गढ़खा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि-विद्युत अधीकाण अभियंता/लेखा पदाधिकारी संचरण अंचल, डेहरी-आन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-आन-सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री धीरज कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, जगदीशपुर पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो०-गोपुर, थाना-गढ़खा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) के विलङ्घ कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्याहरताकारी को अवगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक ३७ पटना, दिनांक १६/६/२० /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।



 (अरुण कुमार चौधरी)
 महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
 ₹०/-



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—३।

/पटना,

दिनांक

१६।६।२०

संज्ञा/२००३०/सहायक परिचालक/४।/२०१८ पाँ०-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री चन्द्रशेखर सिंह, मुत्र—श्री विजय सिंह, ग्राम-अलेखटोला सिताबदियारा, पो०-जयप्रकाश नगर, जिला-बलिया (उत्तर प्रदेश) को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री सिंह की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री सिंह का सहायक परिचालक घोड़-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुबंध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१६६ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री सिंह का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिन-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को सलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुबंध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिन-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।’ साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री चन्द्रशेखर सिंह के संबंध में यह अभ्युक्त अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिन ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-३२ पर अंकित श्री सिंह के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्त ‘निर्गत नहीं’ प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१६६ दिनांक-१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी भी किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कठिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री सिंह के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-३३ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री सिंह का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१०.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विळद्व श्री सिंह एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ लकड़ीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N०-१४२१/२०१९ [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश वो निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस शैक्षणिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह सहित सभी १९ सेवामुक्त लकड़ीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशी का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०५५ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह को दिनांक-२८.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आदासीय पता पर निर्बंधित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-९१ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री सिंह ने अपने आवेदन दिनांक-२८.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मौगा गया। श्री सिंह के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११७८ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपरिथित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपरिथित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३१२ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निर्धित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री सिंह निर्धारित लिखि दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष उपरिथित होकर अपना आई०टी०आई० मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाब समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित जबाब में आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मात्र न्यायालय के आदेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिणेक्ष्य में समिति द्वारा श्री सिंह से प्राप्त जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा समर्पित आई०टी०आई० मूल प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियों यही हैं जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुक्ति उक्त प्रमाण—पत्रों को परीक्षा नियत्रक, अम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं सहायक नियेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

-3-

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334, दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही श्री सिंह के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एवं अन्य 03 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एक है। अतएव श्री सिंह द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रभाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का नामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्ठिका-VIII के आलोक में सेवा से बखारित करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शीक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रभाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री चन्द्रशेखर सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री चन्द्रशेखर सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरीव, पुत्र- श्री विजय सिंह, ग्राम-अलेखटोला सिताबदियारा, पो०-जयप्रकाश नगर, जिला-बलिया (उत्तर प्रदेश) को नियंत्रित ढाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार घौघरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री चन्द्रशेखर सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरीव, पुत्र- श्री विजय सिंह, ग्राम-अलेखटोला सिताबदियारा, पो०-जयप्रकाश नगर, जिला-बलिया (उत्तर प्रदेश) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार घौघरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंधल, डेहरी-ओ०-सो०/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-ओ०-सो० / सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरीव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कर्जी प्रभाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री चन्द्रशेखर सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, दुमरीव, पुत्र- श्री विजय सिंह, ग्राम-अलेखटोला सिताबदियारा, पो०-जयप्रकाश नगर, जिला-बलिया (उत्तर प्रदेश) के विलम्ब यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित धाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार घौघरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार घौघरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
मा०सं०



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

33

/पटना,

दिनांक

१६।६।२०।

लोट/सालात/सालाक नं०३५४/४१/२०१५ वि०-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री अनिल कुमार, पुत्र श्री राधा साह, घाम-घरमपुरा, पौ०-इसलपुरा, थाना-झोरीगंज, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को दिनांक-०६.०५.२०१० के प्रमाण से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंडग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री कुमार की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री कुमार का सहायक परिचालक ग्रेड-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार सरकार, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१६० दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री कुमार का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके अधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा ग्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उदालोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 'पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री अनिल कुमार को संबंध में यह अन्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के कलस्वलय संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दि० ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जीव कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-४५ पर अंकित श्री कुमार के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अन्युक्ति "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सुधित किया गया कि नियंत्रक कार्यालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१६० दिनांक-१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी सार पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-६८ दिनांक-१०.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका-०८ में विनिर्दिष्ट है कि— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि- “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

इस प्रकार श्री कुमार के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के कर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपसना एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-३९ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री कुमार का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-०६.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश को विस्तृत श्री कुमार एवं समाज मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कर्म्यनी लिंग, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समर्पित का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार सहित सभी १९ रोपामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०४९ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री कुमार को दिनांक-२७.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र कर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस का आवासीय पता पर निर्देशित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कर्म्यनी मुख्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-९१ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अव्यवहारा में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री कुमार ने अपने आवेदन दिनांक-२७.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय भौंगा गया। श्री कुमार के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११८० दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११०० बजे पूर्वाहन में व्यवित्तगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यपित प्रति तथा अपना पैथ पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री कुमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समाज कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपसना पत्रांक-१३०९ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री कुमार, निर्धारित तिथि दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई०टी०आई० मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाब समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित जबाब में आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को राठी होने एवं माठ न्यायालय के आदेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री कुमार से प्राप्त जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों को आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपसना यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा समर्पित आई०टी०आई० मूल प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियोगी वही है जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण—पत्रों को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

-3-

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं प्रतिवेदित किया गया है। अतएव श्री कुमार द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कपिडका-VIII के आलोक में सेवा से वर्खर्त करने एवं अन्य शतानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विविसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन चरि शर्तों के अधीन श्री अनिल कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन वो दिनांक-06.05.2010 के प्रमाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण दिनांक-01.04.2015 के प्रमाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री अनिल कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II संचरण अवर प्रमंडल, छिह्न०पुत्र श्री राधा साह, ग्राम-धरमपुरा, पो०-रसलपुरा, थाना-डोरीगंज, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को नियमित डाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक/
प्रतिलिपि- श्री अनिल कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II संचरण अवर प्रमंडल, छिह्न०पुत्र श्री राधा साह, ग्राम-धरमपुरा, पो०-रसलपुरा, थाना-डोरीगंज, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक/
प्रतिलिपि- / विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पश्चिमी) / विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पश्चिमी) / सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, छिह्न० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री अनिल कुमार, तदेन सहायक परिचालक घे०-II संचरण अवर प्रमंडल, छिह्न०पुत्र श्री राधा साह, ग्राम-धरमपुरा, पो०-रसलपुरा, थाना-डोरीगंज, जिला-छपरा, सारण (बिहार) के विलद यथोधित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्राप्तिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहरतादारी को अवगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक/
प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—५२

संजोप/सांख्य/सहायक परिचालक/११/२०१८ पार्ट-२

/पटना,

दिनांक

१६/६/१८,

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०आ०संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री अरुण कुमार राय, पुत्र श्री छहू राय, ग्राम—महमदा मंगल टौला, पौ०-महमदा, थाना—गरखा, जिला—सारण, छपरा (बिहार) को दिनांक-१७.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक के पद पर नियोजित किया गया। सदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री राय की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री राय का सहायक परिचालक घोड़-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित सीक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१६८ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा श्री राय का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-५९ दिन-०१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-२८.०९.२०१६ द्वारा रिस्ट्रिक्ट रूपरूप करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिन-०२.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१८ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।’ साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री अरुण कुमार राय की संबंध में यह अन्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनी में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास को फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिन ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संसाधन, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अनिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-२९ पर अंकित श्री राय के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अन्युक्ति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि नियंत्रक कार्यालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१६८ दिनांक-१५.०२.२०१६ फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कठिका-०६ में विर्भिट है कि— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

४२५

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक 15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्ठका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री राय के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-32 दिनांक—21.02.2019 द्वारा श्री राय का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक—17.05.2010 के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-11 के पद पर दिनांक—01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री राय एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिं.0, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक—16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-67 दिनांक—07.08.2019 द्वारा श्री राय सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जौन, पटना के नोटिस पत्रांक—1051 दिनांक—07.08.2019 द्वारा श्री राय को दिनांक—28.08.2019 को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्बंधित ढाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना की अव्यक्ता में पौंछ सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जौन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री राय ने अपने आवेदन दिनांक—28.08.2019 द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय भी नहीं दिया गया। श्री राय के आवेदन के आलोक में संचरण जौन, पटना के पत्रांक—1171 दिनांक—11.09.2019 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक—14.10.2019 को 11:00 बजे पूर्वाहिन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापिता प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। सदालोक में दिनांक—14.10.2019 को श्री राय समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक—1311 दिनांक—14.10.2019 द्वारा दिनांक—07.11.2019 को समिति के समक्ष निरिवत रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जौन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित लिये यथा—दिनांक—07.11.2019 को श्री राय समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए परन्तु श्री राय द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री राय अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली—भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। सदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या—305 दिनांक—15.04.2015 की कण्ठका—VIII के आलोक में सेवा से बर्खारत करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्याई करने की अनुशंसा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं भास्त्र में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-९०८ दिनांक-२१.०५.२०२० द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री अरुण कुमार राय के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१७.०५.२०१० के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री अरुण कुमार राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बाढ़ पुत्र श्री छतुर राय, ग्राम-महमदा भंगल टोला, पो०-महमदा, थाना-गरखा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को नियंत्रित डाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

शापांक.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- श्री अरुण कुमार राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बाढ़ पुत्र श्री छतुर राय, ग्राम-महमदा भंगल टोला, पो०-महमदा, थाना-गरखा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

शापांक.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंधल, पटना (पूर्वी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, बाढ़/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बाढ़ पुत्र श्री छतुर राय, ग्राम-महमदा भंगल टोला, पो०-महमदा, थाना-गरखा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताकरी को अवगत करायें।

2. महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-९०८ दिनांक-२१.०५.२०२० की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री अरुण कुमार राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बाढ़ पुत्र श्री छतुर राय, ग्राम-महमदा भंगल टोला, पो०-महमदा, थाना-गरखा, जिला-सारण, छपरा (बिहार) के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताकरी को अवगत करायें।


₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

शापांक.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
६१६१२०



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—

५१

/पटना,

दिनांक

१६/६/२०

संघीय/नामांक/सहाय्य परिचय/४१/२०१५ पृष्ठ-२

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०-०१/०९ के अन्तर्गत का०३००संख्या-७८ दिनांक-
 १८.०५.२०१० द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री बलवन्त सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, आम-वसाही, पौ०-गरुकुल
 मेहियाँ, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को दिनांक-१७.०५.२०१० के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर सहायक परिचालक
 के पद पर नियोजित किया गया। तदुकम में, बिहार स्टेट पावर (होलिंडर्स) कंपनी लिमिटेड को का०३००संख्या-३९५
 दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री सिंह की सेवा दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से सहायक
 परिचालक कोटि-॥ के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री सिंह का सहायक परिचालक ग्रेड-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से नियमितिकरण
 के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र की प्रति
 का सत्यापन कराने के इन में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं
 प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं”
 प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.
 २०१५ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, अम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन
 एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत पत्रांक-१६५ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-
 २१.०३.२०१६ द्वारा श्री सिंह का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०-६९
 दिं०-१६.०५.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की रथीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक
 कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ में भिन्नता के साथ
 ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी रिधि में परीक्षा नियंत्रक
 कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१२२४ दिनांक-
 २८.०९.२०१६ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

उदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-६९७ दिं०-
 २४.०७.२०१८ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ‘पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया
 गया है। अर्थात् यह पत्र जाली है।’ साथ ही पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की
 सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री बलवन्त सिंह के संबंध में यह अन्युक्ति अंकित की गई
 कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं हैं।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के कलस्वरूप
 संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१०९६ दिं० ०३.११.२०१८ द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण
 संस्थान, आई०टी०आई० दीधा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से भानले की
 पुनर्जाग्र कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में
 सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ के द्वारा समर्पित
 गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में क्रम संख्या-३० पर अंकित श्री सिंह के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध
 में अन्युक्ति “निर्गत नहीं” प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं
 प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-१६५ दिनांक-१५.०२.२०१६ कर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर
 जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-७८ दिनांक-१८.०५.२०१० के द्वारा सहायक परिचालक
 के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कठिका-०६ में विनिर्दिष्ट है कि— “If any information given by them
 with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy
 is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they
 will be disengaged and further legal action will be taken”.

५८८.

P.T.O

इसके अतिरिक्त, विहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कपिडका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री सिंह के शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र एवं अंक—पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-३४ दिनांक-२१.०२.२०१९ द्वारा श्री सिंह का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-१७.०५.२०१० के प्रभाव से रद्द किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर दिनांक-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रद्द करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विळद्वा श्री सिंह एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य १८ तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम विहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना एवं अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नहीं होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-८७ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह सहित सभी १९ सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन रद्द करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशों का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नहीं की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-१०६५ दिनांक-०७.०८.२०१९ द्वारा श्री सिंह को दिनांक-२८.०८.२०१९ को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा—आई०टी०आई० प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाब समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निर्बंधित छाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बैबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाब की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-११ दिनांक १७.०८.२०१९ द्वारा महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पौच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री सिंह ने अपने आवेदन दिनांक-२८.०८.२०१९ द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणों से अपना पक्ष एवं प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मौगा गया। श्री सिंह के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-११७२ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-१४.१०.२०१९ को ११:०० बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विनामीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाब समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-१४.१०.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर १५ दिनों का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-१३१३ दिनांक-१४.१०.२०१९ द्वारा दिनांक-०७.११.२०१९ को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा—दिनांक-०७.११.२०१९ को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री सिंह द्वारा उनके फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण पत्रों के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह अपने फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र से भली—भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में समिति द्वारा विहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ की कपिडका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

-3-

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में "उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पायर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संघरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पायर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की रातों के अधीन श्री बलवन्त सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-17.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-॥ के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री बलवन्त सिंह, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संघरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम-वसाढ़ी, पो०-गरुकुल मेहियाँ, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को नियंत्रित डाक से भेज दी जाए।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री बलवन्त सिंह, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संघरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम-वसाढ़ी, पो०-गरुकुल मेहियाँ, जिला-सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक पटना, दिनांक /

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संघरण अंचल, डेहरी-आन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संघरण प्रमंडल, डेहरी-आन-सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संघरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०), बिहार स्टेट पायर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री बलवन्त सिंह, तदेन सहायक परिचालक घे०-II, संघरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम-वसाढ़ी, पो०-गरुकुल मेहियाँ, जिला-सारण, छपरा (बिहार) के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित धाना ने प्रायमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूधना से अदौहस्ताकरी को अदगत करायें।

₹०/-

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

झापांक २१४ पटना, दिनांक १६/६/२० /

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०स०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पायर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पायर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

BPK